



भारत का राजपत्र The Gazette of India

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 23]

नई दिल्ली, शनिवार, जून 7, 1975/ ज्येष्ठ 17, 1897

No. 23]

NEW DELHI, SATURDAY, JUNE 7, 1975/JYAISTHA 17, 1897

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके ।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation.

भाग II—खण्ड 4

PART II—Section 4

रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी किए गये सांविधिक नियम और आदेश

Statutory Rules and Orders issued by the Ministry of Defence

रक्षा मंत्रालय

नई दिल्ली, 25 अप्रैल, 1975

का०नि०प्रा० 198.—केन्द्रीय सरकार, छावनी अधिनियम, 1924 (1924 का 2) की धारा 13 की उपधारा (7) के अनुसरण में यह अधिसूचित करती है कि लेफ्टिनेंट कर्नल ए० डब्ल्यू० वेसाई (सेवा निवृत्त) की सदस्यता के पद के समय के बीत जाने के कारण छावनी बोर्ड बेलगांव की सदस्यता में रिक्त हुई है ।

[फा० सं० 19/31/ सी/एल और सी /65/1392-सी/डी (क्यू और सी)]

New Delhi, the 25th April, 1975

S.R.O. 198.—In pursuance of sub-section 7 of section 13 of the Cantonments Act, 1924 (2 of 1924), the Central Government hereby notifies that a vacancy has occurred in the membership of the Cantonment Board, Belgaum by reason of the efflux of time in the office of membership of Lt. Col. A. W. Desai (Retd.)

[File No. 19/31/C/L&C/65/1392-C/D (Q&C)]

(321)

31 GI/75—1.

का०नि०प्रा० 199.—केन्द्रीय सरकार, छावनी अधिनियम, 1924 (1924 का 2) की धारा 13 की उपधारा (7) के अनुसरण में यह अधिसूचित करती है कि ले० कर्नल ए० डब्ल्यू० वेसाई (सेवा निवृत्त) की उनकी पदावधि की समाप्ति के कारण हुई रिक्ति के स्थान पर स्टेशन के कमान ऑफिसर द्वारा छावनी बोर्ड, बेलगांव के एक सदस्य के रूप में पुनः नाम निर्दिष्ट किया गया है ।

[फाइल सं० 19/28/सी/एल और सी/65/1392/1/सी/डी (क्यू और सी)]

एन० वी० स्वामीनाथन, अवर सचिव

S.R.O. 199.—In pursuance of sub-section (7) of Section 13 of the Cantonments Act, 1924 (2 of 1924), the Central Government hereby notifies that Lt. Col A. W. Desai (Retd.) has been re-nominated by the officer commanding the station as a member of the Cantonment Board, Belgaum against the vacancy caused on account of expiry of his term of office.

[File No. 19/28/C/L&C/65/1392/1/C/D (Q&C)]

N. V. SWAMINATHAN, Under Secy.

नई दिल्ली, 23 मई, 1975

का०नि०प्रा० 200—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तु द्वारा प्रवृत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, सशस्त्र बल, चिकित्सीय सेवा, महाविद्यालय की निम्नतर विरचनाओं में काष्ठकार, काष्ठकार और योजक के पद पर भर्ती की पद्धति को विनियमित करने वाले निम्नलिखित नियम बनाते हैं अर्थात्:—

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ (1) इन नियमों का नाम सशस्त्र बल चिकित्सीय सेवा, महाविद्यालय (काष्ठकार, काष्ठकार और योजक) भर्ती नियम 1975 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. संख्या, वर्गीकरण और वेतनमान—उक्त पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण और उनके वेतनमान वे होंगे जो उक्त अनुसूची के स्तम्भ 2 से 4 तक में विनिर्दिष्ट हैं।

3. भर्ती की पद्धति, आयुसीमा और अर्हताएं—उक्त पदों पर भर्ती की पद्धति, आयुसीमा, अर्हताएं और उनसे संबन्धित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तम्भ 5 से 13 तक में विनिर्दिष्ट हैं।

4. निरर्हताएं—वह व्यक्ति—

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिम्का पति या जिम्की पत्नी जीवन है, विवाह किया है, या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित होने हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है,

उक्त पदों पर में से किसी पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा।

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का समाधान हो जाए कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुश्रेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार मौजूद हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

5. शिथिल करने की शक्ति—जहां केन्द्रीय सरकार की राय हो कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह, उसके लिए जो कारण है उन्हें लेखबद्ध करके इन नियमों के किसी उपबन्ध को, किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों या पदों की बाबत, प्रादेश द्वारा, शिथिल कर सकेगी।

6. व्यावृत्ति—इन नियमों की कोई भी बात ऐसे आरक्षणों और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिसका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबन्ध में समय-समय पर निकाले गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य विशेष प्रवर्गों के व्यक्तियों के लिए उपबन्ध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतनमान	चयन पद अथवा अचयन पद	सीधे भर्ती किये जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु, सीमा	सीधे भर्ती किये जाने वाले व्यक्तियों के लिए शैक्षिक और अन्य अर्हताएं
1	2	3	4	5	6	7
काष्ठकार	5	रक्षा सेवाओं में के सिविलियन, वर्ग 3, औद्योगिक, अराज-पत्रित	210-4-226-२००० 4-250-२०००-5- 200 २०	अचयन	18-25 वर्ष	(i) प्राथमिक उत्तीर्ण (ii) काष्ठकारी कार्य का कम से कम 2 वर्ष का अनुभव।
सीधे भर्ती किये जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नतों की दशा में लागू होंगी या नहीं	परिवीक्षा की अवधि यदि कोई हो	भर्ती की पद्धति/भर्ती या प्रोन्नति द्वारा या प्रतियुक्ति/स्थानान्तरण द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों का प्रतिशत	सीधे होंगे	प्रोन्नति/प्रतियुक्ति/स्थानान्तरण द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियों जिनसे प्रोन्नति/प्रतियुक्ति/स्थानान्तरण किया जाएगा।	यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है तो उसकी संरचना।	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा
8	9	10	11	12	13	
नहीं	दो वर्ष	50 प्रतिशत जिनके न हो सकने पर सीधी भर्ती द्वारा और 50 प्रतिशत विभागीय प्रोन्नति द्वारा।	स्थानान्तरण द्वारा	प्रोन्नति— निम्नलिखित प्रवर्गों से इकाई के आधार पर होंगी— (i) व्यापारी मेट और पैकर जिसने उस श्रेणी में 3 वर्ष सेवा की हो। (ii) श्रमिक, जिन्होंने ऐसी इकाइयों में 5 वर्ष सेवा की हो जहां श्रमिक मेटो और पैकरों के पद प्राधिकृत नहीं हैं। स्थानान्तरण रक्षा सेवाओं की निम्नतर विरचनाओं में समरूप या समतुल्य या ऊंचे पदों पर कार्य करने वाले व्यक्ति।	वर्ग 3, विभागीय प्रोन्नति समिति	लागू नहीं होता

1	2	3	4	5	6	7
काष्ठकार और योजक	21	रक्षा सेवाओं में के सिविलियन, वर्ग 3, औद्योगिक भ्राराजपत्रित	225-5-260-6-290 5- द०रो०-6-308 ६०	अचयन	18-25 वर्ष	(i) प्राथमिक उत्तीर्ण (ii) काष्ठकारी कार्य का कम से कम 5 वर्ष का अनुभव।
8	9	10	11	12	13	
नहीं	दो वर्ष	50 प्रतिशत स्थापना द्वारा जिसके न हो सकने पर सीधी भर्ती द्वारा और 50 प्रतिशत विभागीय प्रोन्नति द्वारा	प्रोन्नति : निम्नलिखित प्रयोगों से इकाई के आधार पर होगा— (i) व्यापारी सेट और पैकर जिन्होंने इस श्रेणी में 3 वर्ष सेवा की हो। (ii) श्रमिक जिन्होंने ऐसी इकाइयों में 5 वर्ष सेवा की हो जहाँ व्यापारी और पैकरो के पद प्राधिकृत नहीं हैं। स्थानान्तरण : रक्षा सेवाओं की निम्नतर विरचनाओं में जैसे ही या समतुल्य या ऊँचे पदों पर कार्य करने वाले व्यक्ति।	वर्ग 3 विभागीय प्रोन्नति समिति	लागू नहीं होता	

[फा० स०-11335/2/डी०जी०ए०एफ०एम०एस०/डी० जी०-2 बी०]

New Delhi, the 23rd May, 1975

S.R.O. 200.—In exercise of the powers conferred by the proviso to Article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of Carpenter and Carpenter and Joiner in the lower formations of the Director General, Armed Forces Medical Services, namely :—

1. Short title and commencement.—(1) These rules may be called The Director General, Armed Forces Medical Services (Carpenter and Carpenter and Joiner in lower formations) Recruitment Rules, 1975.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Number, classification and scale of Pay.—The number of the posts, their classification and the scale of pay attached thereto shall be as specified in columns 2 to 4 of the Schedule annexed to these rules.

3. Method of recruitment, age limit and other qualification.—The method of recruitment to the said posts, age limit, qualifications and other matters connected therewith shall be as specified in columns 5 to 13 of the said Schedule.

4. Disqualification.—No person,—

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to any of the said posts.

Provided that the Central Government may if satisfied, that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

5. Power to relax.—Whereas the Central Government is of opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order, for reasons to be recorded in writing relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons or posts.

6. Saving.—Nothing in these rules shall affect reservations and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of Post	Number of posts	Classification	Scale of pay	Whether selection post or non-selection post	Age for direct recruitments	Educational and other qualifications required for direct recruits
1	2	3	4	5	6	7
Carpenter	5	Civilian in Defence Services Class III/ Industrial Non-Gazetted	Rs. 210-4-226-EB-4-250-EB-5-290.	Non-selection	18—25 years	(i) Primary Pass (ii) Experience of Carpentry work for at least 2 years.
Carpenter and Joiner	21	Civilian in Defence Services Class III, Industrial Non-Gazetted	Rs. 225-5-260-6-290-EB-6-308.	Non-selection	18—25 years	(i) Primary Pass (ii) Experience of Carpentry work for at least 5 years.

Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees	Period of probation, if any	Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation, or transfer and percentage of the vacancies to be filled by various methods	In case of recruitment by promotion, or deputation or transfer, grades from which promotion/deputation/transfer to be made	If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition	Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment
8	9	10	11	12	13
No	Two years	50% by transfer failing which by direct recruitment and 50% by departmental promotion.	Promotion: To be on unit basis from the following categories :— (i) Tradesman Mate and Packer with 3 years service in the grade. (ii) Labourers with 5 years service in units where posts of Tradesman Mates and Packers are not authorised. Transfer : Persons working in similar or equivalent or higher posts in the lower formation of Defence Services.	Class III Departmental Promotion Committee.	Not applicable.
No.	Two years	50% by transfer failing which by direct recruitment and 50% by departmental promotion	Promotion : To be on unit basis from the following categories :— (i) Tradesman Mate and Packer with 3 years service in the grade. (ii) Labourers with 5 years service in units where posts of Tradesman Mates and Packer are not authorised. Transfer : Persons working in similar or equivalent or higher posts in the lower formations of Defence Services.	Class III Departmental Promotion Committee	Not applicable.

[File No. 11335/2/DGAFMS/DG-2B]

नई दिल्ली, 26 मई, 1975

कां०क्र० 201—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, सेना आर्डिनेंस कोर (बर्ग 3 अराजपत्रित) भर्ती नियम, 1969 में और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्:—

1. (1) इन नियमों का नाम सेना आर्डिनेंस कोर (बर्ग 3 अराजपत्रित) भर्ती नियम, 1975 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. सेना आर्डिनेंस कोर (बर्ग 3 अराजपत्रित) भर्ती नियम, 1969 में :—

(i) नियम 4 के परन्तुक का लोप किया जाएगा,

(ii) नियम 5 के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा अर्थात् :—

“5. निरहताएं.—वह व्यक्ति—

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति वा जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है, या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित होते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है ;

उक्त पदों में से किसी पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का समाधान हो जाए कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुश्रेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार मौजूद हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।”

(iii) नियम 6 के पश्चात् निम्नलिखित अन्तःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

“7. व्यावृत्ति—इन नियमों की कोई भी बात ऐसे आरक्षणों और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर निकाले गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य विशेष प्रवर्गों के व्यक्तियों के लिए उपबन्ध करना अपेक्षित है।”

(iv) अनुसूची में कल्याण पर्यवेक्षक (महिला) के पद और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात् निम्नलिखित अन्तःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:—

अनुसूची

1	2	3	4	5	6
नर्स	रक्षा सेवाओं में सिविलियन, वर्ग 3, अराज-पत्रित, अनौद्योगिक अराजपत्रित	425-15-560-द०रो० 20-640 रु०	लागू नहीं होता	18 से 25 वर्ष	राज्य की शिक्षिता या नर्सिंग परिषद् या किसी अखिल भारतीय निकाय में रजिस्ट्रीकृत होना चाहिये।
7	8	9	10	11	12
लागू नहीं होता	2 वर्ष	स्थानान्तरण द्वारा, जिसके न हो सकने पर सीधी भर्ती द्वारा	स्थानान्तरण : रक्षा सेवाओं की निम्नतर विरचनाओं में समरूप, समतुल्य या उच्चतर श्रेणी में कार्य करने वाले ऐसे व्यक्ति जो स्तम्भ 6 में विहित अर्हताएं रखते हों	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता

New Delhi, the 26th May, 1975

S.R.O. 201.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the president hereby makes the following rules further to amend the Army Ordnance Corps (Class III Non-Gazetted) Recruitment Rules 1969, namely :—

(1) These rules may be called the Army Ordnance Corps (Class III Non-Gazetted) Recruitment Rules, 1975.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the official Gazette.

(2) In the Army Ordnance Corps (Class III Non-Gazetted) Recruitment Rules, 1969 :—

(i) the proviso to rules 4 shall be omitted,

(ii) for rules 5, the following shall be substituted, namely :—

"5. Disqualification—No person,—

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person, shall be eligible for appointment to any of the said posts :

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other ground for so doing, exempt any person from the operation of this rules."

(iii) after rule 6 the following shall be inserted, namely :—

"7. Saving—Nothing in these rules shall affect reservations and other concessions required to be provided for the Schedule castes and Schedule Tribes and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard."

(iv) in the Schedule, to after the post of Welfare Supervisor (Women) and the entries relating thereto, the following shall be inserted, namely :—

1	2	3	4	5	6
Nurses	Civilian in Defence Services Class III Non-Ministerial Non-Industrial Non-Gazetted	Rs. 425-15-560-EB-20-640.	Not applicable	18 to 25 years	Should have been registered with the medical or the Nursing Council of the state or an all India Body
7	8	9	10	11	12
Not applicable	Two years	By transfer failing which by direct recruitment	Transfer : Persons working in similar, equivalent or higher grade in the lower formation of Defence Services and possessing the qualifications prescribed in col. 6.	Not applicable	Not applicable

का० नि० आ० 202.—राष्ट्रपति संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, रक्षा मंत्रालय के अधीन सैनिक प्रशिक्षण निदेशालय में वर्ग 3 और वर्ग 4 के पदों पर भर्ती की पद्धति को विनियमित करने वाले निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :—

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.—(1) इन नियमों का नाम सैनिक प्रशिक्षण निदेशालय (वर्ग 3 और वर्ग 4 के पद) भर्ती नियम 1975 है।
(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. लागू होना.—ये नियम इससे उपबद्ध अनुसूची के स्तम्भ 1 में विनिर्दिष्ट पदों को लागू होंगे।

3. पद संख्या, वर्गीकरण और वेतनमान.—उक्त पदों की संख्या, वर्गीकरण और उनके वेतनमान वे होंगे जो उक्त अनुसूची के स्तम्भ 2 से 4 में विनिर्दिष्ट हैं।

4. भर्ती की पद्धति, आयु सीमा और अर्हताएं आदि.—उक्त पदों पर भर्ती की पद्धति, आयु सीमा, अर्हताएं और उनसे सम्बन्धित अन्य बातें वे होंगी जो पूर्वोक्त अनुसूची के स्तम्भ 5 से 13 में विनिर्दिष्ट हैं।

5. निरर्हताएं.—वह व्यक्ति—

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है विवाह किया है या (ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित होते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है, उक्त पदों में से किसी पर भी नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का समाधान हो जाए कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के अन्य आधार भी हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

6. शिथिल करने की शक्ति.—जहां केन्द्रीय सरकार की राय हो कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है वहां उसके लिए जो कारण हैं, उन्हें लेखबद्ध करके इन नियमों के किसी उपबन्ध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों या पदों की भावत आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

7. व्याप्ति.—इन नियमों की कोई बात ऐसे आरक्षणों और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस सम्बन्ध में समय-समय पर निकाशे गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों और अन्य विनिर्दिष्ट प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबन्ध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतनमान	चयन पद अथवा अन्वयन पद	सीधे भर्ती किये जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए शैक्षिक और अन्य अर्हताएं
1	2	3	4	5	6	7
तृतीय श्रेणी पद						
1. सहायक मास्टर (कला 1 इकाई)	5	रक्षा सेवाओं में सिविलियन वर्ग 3, अराज-पत्रित, अनौद्योगिक अननुसूचित	440-15-515-ब० रो०-15-560-20- 700-ब० रो०-25- 750 ब०	लागू नहीं होता	18-30 वर्ष	आयुभ्यक्त : (क) किसी मान्यताप्राप्त विश्व-विद्यालय या बोर्ड की उच्चतर माध्यमिक परीक्षा। इकाई और चित्रणकला और शिल्पकला में डिप्लोमा। बाछमीय : (1) अंग्रेजी में प्रवीणता (2) खेलकूद में प्रवीणता (3) पाठ्यतर क्रियाकलाप में अनुभव
सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नति की दशा में लागू होगी या नहीं	परिक्षा की अवधि, यदि कोई हो	भर्ती की पद्धति, प्रोन्नति द्वारा प्रतिनियुक्ति, स्थानान्तरण द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों का प्रतिशत	प्रोन्नति, स्थानान्तरण द्वारा दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या स्थानान्तरण किया जाएगा	यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है तो उसकी सरचना	भर्ती करने में कितनी परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा	
8	9	10	11	12	13	
लागू नहीं होता	2 वर्ष	स्थानान्तरण द्वारा, जिनके न हो सकने पर सीधी भर्ती द्वारा	स्थानान्तरण रक्षा सेवाओं की निम्नतर विरचनाओं में समरूप, समतुल्य या उच्चतर श्रेणी में काम करने वाले व्यक्तियों में से	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	

1	2	3	4	5	6	7
2. सहायक मास्टर (हस्तकला प्रशिक्षण/ दस्तकारी)	5	रक्षा सेवाओं में सिविलियन वर्ग III अराज-पत्रित, अन्तौद्योगिक, अननुसचिवीय	440-15-515-द० रो०-15-560-20- 700-द० रो०-25- 750 रु०	लागू नहीं होता	18-30 वर्ष	प्रावश्यक : (क) किसी मान्यताप्राप्त विश्व-विद्यालय या बोर्ड की उच्चतर माध्यमिक परीक्षा (ख) दस्तकारी में डिप्लोमा (काष्ठ कला मिट्टी के मॉडल बनाने और मृदु पत्थर की नक्काशी। वांछनीय : (1) अंग्रेजी में प्रवीणता (2) खेल-कूद में प्रवीणता (3) पाठ्यतर क्रियाकलाप में अनुभव।
3 सहायक मास्टर	50	रक्षा सेवाओं में सिविलियन वर्ग III अराज-पत्रित, अन्तौद्योगिक, अननुसचिवीय	440-15-515-द० रो०-15-560-20- 700-द० रो०-25- 750 रु०	लागू नहीं होता	21-35 वर्ष	प्रावश्यक : (क) किसी मान्यताप्राप्त विश्व-विद्यालय से उपाधि तथा शिक्षक प्रशिक्षण पाठ्यक्रम में मान्यता-प्राप्त उपाधि (ख) दो वर्ष का अध्यापन अनुभव। वांछनीय : (क) स्नातकोत्तर उपाधि (ख) अंग्रेजी में प्रवीणता (ग) खेलकूद में प्रवीणता (घ) पाठ्यतर क्रियाकलाप।
4 छात्रावास अधीक्षक	10	रक्षा सेवाओं में सिविलियन वर्ग III अराज-पत्रित, अन्तौद्योगिक, अननुसचिवीय	425-15-500-द० रो०-15-500-20- 700 रु०	चयन	21-35 वर्ष	प्रावश्यक : किसी विश्वविद्यालय की उपाधि। वांछनीय : (क) अंग्रेजी में प्रवीणता (ख) छात्रावास चलाने का अनुभव (ग) लेखा कार्य में प्रवीणता (घ) किसी प्रमुख खेलकूद को सिखाने की योग्यता।
8	9	10	11	12	13	
लागू नहीं होता	2 वर्ष	स्थानांतरण द्वारा, जिसके न हो सकने पर सीधी भर्ती द्वारा।	स्थानांतरण : रक्षा सेवाओं की निम्नतर विरचनाओं में समरूप, समतुल्य या उच्चतर श्रेणी में काम सेवा वाले व्यक्तियों में से।	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता।	
लागू नहीं होता	2 वर्ष	स्थानांतरण द्वारा जिसके न हो सकने पर सीधी भर्ती द्वारा	स्थानांतरण : रक्षा सेवाओं की निम्नतर विरचनाओं में समरूप, समतुल्य या उच्चतर श्रेणी में सेवा करने वाले व्यक्तियों में से।	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता।	
नहीं	2 वर्ष	प्रोन्नति द्वारा, जिसके न हो सकने पर स्थानांतरण द्वारा और दोनों के न हो सकने पर सीधी भर्ती द्वारा	प्रोन्नति : ऐसे उच्च श्रेणी लिपिकों में से जिन्होंने उस श्रेणी में 7 वर्ष सेवा की हो। स्थानांतरण : रक्षा सेवाओं की निम्नतर विरचनाओं में समरूप, समतुल्य या उच्च श्रेणी में सेवा करने वाले व्यक्तियों में से।	वर्ग III विभागीय समिति	लागू नहीं होता।	

1	2	3	4	5	6	7
5. मैट्रन	10	रक्षा सेवाओं में सिविलियन वर्ग III अराजपत्रित, अनौद्योगिक, अननुसन्धीय	550-20-650-25-750 रु०	लागू नहीं होता	21-35 वर्ष	<p>आवश्यक :</p> <p>(क) किसी माध्यमताप्राप्त विश्वविद्यालय या बोर्ड की उच्चतर माध्यमिक या समतुल्य परीक्षा</p> <p>(ख) गृह-विज्ञान में डिप्लोमा</p> <p>(ग) किसी हस्पताल में नर्स के रूप में कम से कम 5 वर्ष की अवधि का अनुभव ।</p> <p>वांछनीय :</p> <p>(क) अंग्रेजी में प्रवीणता</p> <p>(ख) भोजन-अवधि में एक एक वर्ष का अनुभव ।</p>
6. अस्पताल मैट्रन	1	रक्षा सेवाओं में सिविलियन वर्ग III अराजपत्रित, अनौद्योगिक, अननुसन्धीय	550-20-650-25-750 रु०	लागू नहीं होता	21-35 वर्ष	<p>आवश्यक :</p> <p>(क) किसी माध्यमताप्राप्त विश्वविद्यालय या बोर्ड से मैट्रिकुलेशन या समतुल्य</p> <p>(ख) अर्हित मैट्रन होनी चाहिए</p> <p>(ग) किसी अस्पताल में उपचर्या मिस्टर के रूप में 5 वर्ष का अनुभव होना चाहिए ।</p>
7. प्रधान नक्शानवीस (नक्शानवीस स्तर 4)	1	रक्षा सेवाओं में सिविलियन वर्ग III अराजपत्रित, अनौद्योगिक, अननुसन्धीय	550-20-650-25-750 रु०	जयन	18-25 वर्ष	इंजीनियरिंग में उपाधि या समतुल्य।
8	9	10	11	12	13	
लागू नहीं होता	2 वर्ष	स्थानांतरण द्वारा जिसके न हो सकने पर सीधी भर्ती द्वारा	स्थानांतरण : रक्षा सेवाओं की निम्नतर विरचनाओं में समरूप, समतुल्य या उच्चतर श्रेणी में सेवा करने वाले व्यक्तियों में से ।	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	
लागू नहीं होता	2 वर्ष	स्थानांतरण द्वारा जिसके न हो सकने पर सीधी भर्ती द्वारा	स्थानांतरण : रक्षा सेवाओं की निम्नतर विरचनाओं में समरूप, समतुल्य या उच्चतर श्रेणी में सेवा करने वाले व्यक्तियों में से ।	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता ।	
नहीं	2 वर्ष	प्रोन्नति द्वारा जिसके न हो सकने पर स्थानांतरण द्वारा, और दोनों के न हो सकने पर सीधी भर्ती द्वारा	प्रोन्नति : ऐसे श्रेणी II नक्शानवीसों में से जिनकी उस श्रेणी में 3 वर्ष की सेवा हो । स्थानांतरण : रक्षा सेवाओं की निम्नतर विरचनाओं में समरूप, समतुल्य या उच्चतर श्रेणी में सेवा करने वाले व्यक्तियों में से ।	वर्ग III, विभागीय प्रोन्नति समिति	लागू नहीं होता ।	

1	2	3	4	5	6	7
5. नकशानवीस श्रेणी (स्तर 2)	1	रक्षा सेवाओं में सिविल नियम बर्ग 3, अराजक-पत्रित अनीछागिक, अननसचित्रीय ।	420-15 500 रु० रि० 15 500-20 700 रु०	अचयन पद	18-30 वर्ष	प्रावण्यक किसी मान्यताप्राप्त विष्णुविद्यालय संस्थान में नकशानवीसों में डिप्लोमा सहित मैट्रिकुलेशन तथा उम श्रेणी में 5 वर्ष का अनुभव ।
9. नकशानवीस श्रेणी	2	रक्षा सेवाओं में सिविल नियम बर्ग 3, अराजक-पत्रित अनीछागिक, अननसचित्रीय ।	330 10 350 रु० रि० 12 500-20 रि० 15-560 रु०	अचयन पद	18-25 वर्ष	किसी मान्यताप्राप्त संस्थान में नकशानवीसों में डिप्लोमा सहित मैट्रिक तथा उम श्रेणी में 5 वर्ष का अनुभव ।
10. नकशानवीस श्रेणी 3 (अनरेखन स्तर 1)	16	रक्षा सेवाओं में सिविल नियम बर्ग 3, अराजक-पत्रित अनीछागिक, अननसचित्रीय ।	260-8 300 रु०- 8 310-10 350- द०रि०-10-430 रु०	अचयन पद	18-25 वर्ष	किसी मान्यताप्राप्त संस्थान से नकशानवीसों में डिप्लोमा सहित मैट्रिक ।
112. रगमात्र	5	रक्षा सेवाओं में सिविल नियम बर्ग 3 अराजक-पत्रित अनीछागिक अननसचित्रीय ।	210-4-226 रु०- 4-250-500 रु०- 290 रु०	अचयन पद	18-25 वर्ष	मिडिल स्कूल स्तर । किसी मान्यता प्राप्त संस्थान में व्यापार में प्रमाणपत्र या रगमात्र क रूप में 2 वर्ष का अनुभव ।
	8		10	11	12	13
आयु--नहीं अर्हताएं--हां	2 वर्ष	प्रोन्नति द्वारा जिसके न हो सकते पर स्थानान्तरण द्वारा और दोनों के न हो सकते पर सीधी भर्ती द्वारा ।		प्रोन्नति एसे श्रेणी 2 नकशानवीसों में से जिनकी उम श्रेणी में 3 वर्ष सेवा हो । स्थानान्तरण : रक्षा सेवाओं की निम्नतर विरचनाओं में समरूप, समतुल्य या उच्चतर श्रेणी में कार्य करने वाले व्यक्तियों में से ।	बर्ग 3 विभागीय प्रोन्नति समिति	लाग नहीं होता
आयु--नहीं अर्हताएं--हां	2 वर्ष	प्रोन्नति द्वारा जिसके न हो सकते पर स्थानान्तरण द्वारा और दोनों के न हो सकते पर सीधी भर्ती द्वारा ।		प्रोन्नति एसे श्रेणी 3 नकशानवीसों में से जिनकी उम श्रेणी में 3 वर्ष सेवा की है । स्थानान्तरण : रक्षा सेवाओं की निम्नतर विरचनाओं में समरूप, समतुल्य या उच्चतर श्रेणी में सेवा करने वाले व्यक्तियों में से ।	बर्ग 3 विभागीय प्रोन्नति समिति	लागू नहीं होता
आयु--नहीं अर्हताएं--हां	2 वर्ष	प्रोन्नति द्वारा, जिसके न हो सकते पर स्थानान्तरण द्वारा और दोनों के न हो सकते पर सीधी भर्ती द्वारा ।		प्रोन्नति : एसे श्रेणी 4 नकशानवीसों में से जिनकी उम श्रेणी में 3 वर्ष सेवा है । स्थानान्तरण : रक्षा सेवाओं की निम्नतर विरचनाओं में समरूप, समतुल्य या उच्चतर श्रेणी में सेवा करने वाले व्यक्तियों में से ।	बर्ग 3 विभागीय प्रोन्नति समिति	लागू नहीं होता
लागू नहीं होता	2 वर्ष	स्थानान्तरण द्वारा, जिसके न हो सकते पर सीधी भर्ती द्वारा ।		स्थानान्तरण : रक्षा सेवाओं की निम्नतर विरचनाओं में समरूप, समतुल्य या उच्चतर श्रेणी में सेवा करने वाले व्यक्तियों में से ।	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता

1	2	3	4	5	6	7
12. नक़्शानबीम श्रेणी 4	1	रक्षा सेवाओं में सिविलियन वर्ग 3, अराजपत्रित, अनौद्योगिक अननुसन्धिवीय ।	110-3-131-4-155 रु० (पूर्व पुनरीक्षित)	अवयन	18—25 वर्ष	आवश्यक . मैट्रिकुलेशन या समतुल्य तथा नक़्शानबीमी में प्रमाणपत्र या ड्राइंग में उच्चतर प्रमाणपत्र ।
13. टाइपराइटर यांत्रिक	6	रक्षा सेवाओं में सिविलियन वर्ग 3, अराजपत्रित, अनौद्योगिक अननुसन्धिवीय ।	260-6-326-द०रो०-8-350 रु०	अवयन	18—25 वर्ष	आवश्यक : (क) अंग्रेजी और हिन्दी पढ़ना और लिखना जानना हो । (ख) टाइपराइटर यांत्रिक के रूप में 2 वर्ष तक काम कर चुका हो । वाठनीय : टाइपराइटर यांत्रिक के रूप में प्रवीणता प्रमाणपत्र ।
14. काष्ठकार	4	रक्षा सेवाओं में सिविलियन वर्ग 3, अराजपत्रित, अनौद्योगिक अननुसन्धिवीय ।	210-4-226-द०रो०-4-250-द०रो०-5-290 रु०	लागू नहीं होता	18—25 वर्ष	आवश्यक . मिडिल स्कूल स्तर महिन प्रमाणपत्र तथा काष्ठकार के रूप में प्रमाणपत्र या 3 वर्ष का अनुभव ।
15. लेखाकार	3	रक्षा सेवाओं में सिविलियन वर्ग 3, अराजपत्रित अनौद्योगिक अननुसन्धिवीय	330-10-380-द०रो०-12-500-द०रो०-15-360-रु०	अवयन	18—25 वर्ष	किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय में उपाधि तथा लेखाकर्म का ज्ञान

8	9	10	11	12	13
आयु—नहीं ग्रहणता—है	2 वर्ष	प्रोन्नति द्वारा, जिसके न हो सकने पर स्थानान्तरण द्वारा और दोनों के न हो सकने पर सीधी भर्ती द्वारा ।	प्रोन्नति . ऐसे कलाकारों या पोस्टर बनाने वालों या माडल बनाने वालों में से जिनकी उम्र श्रेणी में 3 वर्ष की सेवा हो । स्थानान्तरण : रक्षा सेवाओं की निम्नतर विरचनाओं में समरूप, समतुल्य या उच्चतर श्रेणी में सेवा करने वाले व्यक्तियों में से ।	वर्ग 3 विभागीय प्रोन्नति मिति ।	लागू नहीं होता
लागू नहीं होता	2 वर्ष	स्थानान्तरण द्वारा, जिसके न हो सकने पर सीधी भर्ती द्वारा ।	स्थानान्तरण : रक्षा सेवाओं की निम्नतर विरचनाओं में समरूप, समतुल्य या उच्चतर श्रेणी में सेवा करने वाले व्यक्तियों में से ।	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता
लागू नहीं होता	2 वर्ष	स्थानान्तरण द्वारा, जिसके न हो सकने पर सीधी भर्ती द्वारा ।	स्थानान्तरण : रक्षा सेवाओं की निम्नतर विरचनाओं में समरूप, समतुल्य या उच्चतर श्रेणी में सेवा करने वाले व्यक्तियों में से ।	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता
आयु—नहीं ग्रहणता—है	2 वर्ष	प्रोन्नति द्वारा, जिसके न हो सकने पर स्थानान्तरण द्वारा और दोनों के न हो सकने पर सीधी भर्ती द्वारा ।	प्रोन्नति : ऐसे निम्न श्रेणी लिपिकों में से जिनकी उम्र श्रेणी में 5 वर्ष सेवा हो । स्थानान्तरण : रक्षा सेवाओं की निम्नतर विरचनाओं में समरूप, समतुल्य या उच्चतर श्रेणी में सेवा करने वाले व्यक्तियों में से ।	वर्ग 3 विभागीय प्रोन्नति मिति	लागू नहीं होता

अनुसूची

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतनमान	अन्य पद अथवा अन्वयन पद	सीधे भर्ती किये जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए शैक्षिक और अन्य अहंताएं
1	2	3	4	5	6	7

चतुर्थ श्रेणी पद

1. बस्कराहजर	1	रक्षा सेवाओं में सिविलियन वर्ग 4 अराजपत्रित अन्तः-छौगिक अन्तःसचिबीय	196-3-220-द०रो०-3-232 रु०	अन्वयन	18-25 वर्ष	प्राईमरी परीक्षा उत्तीर्ण
2. उपस्कर मरम्मतकर्ता	4	रक्षा सेवाओं में सिविलियन वर्ग 1 अराजपत्रित अन्तः-छौगिक अन्तःसचिबीय	200-3-206-4-234-द०रो०-4-250 रु०	लागू नहीं होता	18-25 वर्ष	(क) चमड़े की मिलाई में प्रमाणपत्र (ख) मोची के रूप में 2 वर्ष का अनुभव
3. बूट मरम्मतकर्ता	14	रक्षा सेवाओं में सिविलियन वर्ग 4 अराजपत्रित अन्तः-छौगिक अन्तःसचिबीय	200-3-206-4-234-द०रो०-4-250 रु०	लागू नहीं होता	18-25 वर्ष	(क) चमड़े की मिलाई में प्रमाणपत्र। (ख) मोची के रूप में 2 वर्ष का अनुभव।
4. रसाइया	56	रक्षा सेवाओं में सिविलियन वर्ग 4 अराजपत्रित अन्तः-छौगिक अन्तःसचिबीय	200-3-206-4-234-द०रो०-4-250 रु०	अन्वयन	18-25 वर्ष	भारतीय पकवान बनाने का ज्ञान।

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अहंताएं प्रोन्नतों की दशा में लागू होगी या नहीं।

परिशीक्षा की अवधि यदि कोई हो या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/स्थानान्तरण द्वारा तथा विभिन्न पदों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों का प्रतिशत।

प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/स्थानान्तरण द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियों/प्रतिनियुक्ति/स्थानान्तरण किया जाएगा।

यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है तो उसकी संरचना।

भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा।

8	9	10	11	12	13
लागू नहीं होता।	2 वर्ष	स्थानान्तरण द्वारा, जिसके तहत हो सकने पर सीधी भर्ती द्वारा।	स्थानान्तरण द्वारा, जिसके तहत हो सकने पर सीधी भर्ती द्वारा।	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता
लागू नहीं होता।	2 वर्ष	स्थानान्तरण द्वारा, जिसके तहत हो सकने पर सीधी भर्ती द्वारा।	स्थानान्तरण द्वारा, जिसके तहत हो सकने पर सीधी भर्ती द्वारा।	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता
लागू नहीं होता।	2 वर्ष	स्थानान्तरण द्वारा, जिसके तहत हो सकने पर सीधी भर्ती द्वारा।	स्थानान्तरण द्वारा, जिसके तहत हो सकने पर सीधी भर्ती द्वारा।	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता
लागू नहीं होता।	2 वर्ष	स्थानान्तरण द्वारा, जिसके तहत हो सकने पर सीधी भर्ती द्वारा।	स्थानान्तरण द्वारा, जिसके तहत हो सकने पर सीधी भर्ती द्वारा।	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता

S.R.O. 202.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to Class III and Class IV posts in the Military Training Directorate under the Ministry of Defence, namely :—

1. Short title and Commencement.—(1) These rules may be called the Military Training Directorate (Class III and Class IV posts) Recruitment Rules, 1975.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Application.—These rules shall apply to the posts specified in Column 1 of the Schedule annexed hereto.

3. Number of posts, Classification and Scale of Pay.—The number of the said posts, classification and the scale of pay attached thereto shall be as specified in columns 2 to 4 of the said Schedule.

4. Method of recruitment, age limit and qualifications etc.—The method of recruitment, age limit, qualifications and other matters connected therewith shall be as specified in columns 5 to 13 of the Schedule aforesaid.

5. Disqualifications.—No person,—

(a) who has entered into, or contracted, a marriage with a person having a spouse living, or

(b) who, having a spouse living, has entered into, or contracted, a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to any of the said posts :

Provided, that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

6. Power to relax.—Where the Central Government is of opinion that it is necessary or expedient so to do, it may by order, and for reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons or posts.

7. Saving.—Nothing in these rules shall affect reservations and other concessions required to be provided for the candidates belonging to the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes and other specified categories of persons in accordance with the orders issued from time to time by the Central Government in this regard.

SCHEDULE

Name of post	No. of posts	Classification	Scale of pay	Whether selection or non-selection	Age for direct recruits	Educational and other qualifications required for direct recruits
1	5	3	4	5	6	7
1. Assistant Master (Art/Drawing)	5	Civilians in Defence Services Class III Non-gazetted Non-Industrial Non-Ministerial	Rs. 440-15-515-EB-15-560-20-700-EB-25-750.	Not applicable	18--30 years	<p>Essential :</p> <p>(a) Higher Secondary examination of a recognised University or Board.</p> <p>(b) Diploma in Drawing and Painting Arts and Crafts.</p> <p>Desirable :</p> <p>(i) Proficiency in English.</p> <p>(ii) Proficiency in games.</p> <p>(iii) Experience in extra curricular activities.</p>
Whether age and educational qualifications for direct recruits apply in case of promotees	Period of probation, if any	Method of recruitment, by promotion, deputation transfer and percentage of vacancies to be filled by various methods	In case of recruitment by promotion, transfer, grades from which promotions or deputations or transfers to be made	If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition	Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment	
8	9	10	11	12	13	
Class III Posts		Transfer :				
Not applicable	2 years	By transfer failing which by direct recruitment.	Persons working in similar, equivalent or higher grade in the lower formations of Defence Services.	Not applicable	Not applicable.	

1	2	3	4	5	6	7
						Essential:
2. Assistant Master (Manual Training/Handicraft)	5	Civilians in Defence Services Class III Non-gazetted Non-Industrial Non-Ministerial	Rs. 440-15-515-EB-15-560-20-700-EB-25-750.	Not applicable	18—30 years	(a) Higher Secondary of a recognised University or Board. (b) Diploma in handicrafts (Wood Work, Clay modelling and soft stone carving). Desirable : (i) Proficiency in English. (ii) Proficiency in games. (iii) Experience in extra curricular activities.
3. Assistant Master	50	Civilians in Defence Services Class III Non-gazetted Non-Industrial Non-Ministerial	Rs. 440-15-515-EB-15-560-20-700-EB-25-750	Not applicable	21—35 years	Essential : (a) Degree of a recognised University with a recognised degree in Teachers' Training Course. (b) Two years' teaching experience. Desirable : (a) Post graduate degree. (b) Proficiency in English. (c) Proficiency in games. (d) Extra curricular activities.
4. Hostel Superintendent	10	Civilians in Defence Services Class III Non-gazetted Non-Industrial Non-Ministerial	Rs. 425-15-500-EB-15-560-20-700	Selection	21—35 years	Essential : Degree of a University. Desirable : (a) Proficiency in English. (b) Experience in running a Hostel. (c) Proficiency in accounts. (d) Ability to coach in any major games.
5. Matron	10	Civilians in Defence Services Class III Non-gazetted Non-Industrial Non-Ministerial	Rs. 550-20-650-25-750.	Not applicable	21—35 years	Essential : (a) Higher Secondary or equivalent examination of a recognised University or Board. (b) Diploma in Home Science. (c) Experience as a Nurse at a Hospital for a minimum period of five years. Desirable : (a) Proficiency in English. (b) One year's experience of catering.
8	9	10	11	12	13	
Not applicable	2 years	By transfer failing which by direct recruitment.	Transfer : Persons working in similar, equivalent, or higher grade in the lower formations of Defence Services.	Not applicable	Not applicable.	
Not applicable	2 years	By transfer failing which by direct recruitment.	Transfer : Persons serving in similar, equivalent or higher grade in the lower formations of Defence Services.	Not applicable	Not applicable.	
No	2 years	By promotion failing which by transfer and failing both, by direct recruitment.	Promotion : Upper Division clerks with 7 years' service in the grade. Transfer : Persons serving in similar equivalent or higher grade in lower formations of Defence Services.	Class III Departmental Promotion Committee	Not applicable.	
Not applicable	2 years	By transfer failing which by direct recruitment.	Transfer : Persons serving in similar equivalent or higher grade in lower formations of Defence Services.	Not applicable	Not applicable.	

1	2	3	4	5	6	7
6. Hospital Matron	1	Civilians in Defence Services Class III Non-gazetted Non-Industrial Non-Ministerial	Rs. 550-20-650-25-750.	Not applicable	21—35 years	Essential : (a) Matriculation or equivalent of a recognised University or Board (b) Should be a qualified Matron. (c) Should have five years' experience as a Nursing Sister in a hospital.
7. Head Draughtsman (Draughtsman Level IV)	1	Civilians in Defence Services Class III Non-gazetted Non-Industrial Non-Ministerial	Rs. 550-20-650-25-750.	Selection	18—25 years	Degree in Engineering or its equivalent.
8. Draughtsman Grade I (Level II)	1	Civilians in Defence Services Class III Non-gazetted Non-Industrial Non-Ministerial	Rs. 425-15-500-LB-15-560-20-700.	Non-Selection post	18—30 years	Matriculate with Diploma in Draughtsmanship from a recognised institute with 5 years' experience in the grade.
9. Draughtsman Grade II	6	Civilians in Defence Services Class III Non-gazetted Non-Industrial Non-Ministerial	Rs. 330-10-380-EB-12-500-EB-15-560	Non-Selection Pqst	18—25 years	Matriculate with Diploma in Draughtsmanship from a recognised institute with 2 years' experience in the grade.
10. Draughtsman Grade III (Tracer Level I)	16	Civilians in Defence Services Class III Non-gazetted Non-Industrial Non-Ministerial	Rs. 260-8-300-LB-8-340-10-380-LB-10-430	Non-Selection post	18—25 years	Matriculate with Diploma in Draughtsmanship from a recognised institute.
8	9	10	11	12	13	
Not applicable	2 years	By transfer failing which by direct recruitment.	Persons serving in similar equivalent or higher grade in lower formations of Defence Services	Not applicable	Not applicable.	
No	2 years	By promotion failing which by transfer and failing both by direct recruitment.	Promotion : Draughtsman Grade I with 5 year's service in the grade. Transfer : Persons serving in similar, equivalent or higher grade in lower formations of Defence Services.	Class III Departmental Promotion Committee.	Not applicable.	
Age—No Qualifications—Yes	2 years	By promotion failing which by transfer and failing both by direct recruitment.	Promotion : Draughtsman Grade II with 3 years' service in the grade. Transfer : Persons serving in similar, equivalent or higher grade in lower formations of Defence Services.	Class III Departmental Promotion Committee.	Not applicable.	
Age—No Qualifications—Yes	2 years	By promotion failing which by transfer and failing both by direct recruitment.	Promotion : Draughtsman Grade III with 3 years' service in the grade. Transfer : Persons serving in similar, equivalent or higher grade in the lower formations of Defence Services.	Class III Departmental Promotion Committee.	Not applicable	
Age—No Qualifications—Yes	2 years	By promotion failing which by transfer and failing both by direct recruitment	Promotion : Draughtsman Grade IV with 3 years' service in the grade. Transfer : Persons serving in similar, equivalent or higher grade in the lower formations of Defence Services.	Class III Departmental Promotion Committee	Not applicable.	

1	2	3	4	5	6	7
11 Painter	5	Civilians in Defence Services Class III Non-gazetted Non-Industrial Non-Ministerial	Rs. 210-4-226-EB-4-250-EB-5-290	Non-Selection post	18-25 years	Middle School Standard. Certificate in the trade from a recognised institute or 3 years' experience as painter.
12 Draughtsman Grade IV	1	Civilians in Defence Services Class III Non-gazetted Non-Industrial Non-Ministerial	Rs. 110-3-131-4-155 (Pre-revised)	Non-Selection	18-25 years	Marticalation or equivalent with certificate in Draughtsmanship or higher certificate in Drawing.
13 Typewriter Mechanic	6	Civilians in Defence Services Class III Non-gazetted Non-Industrial Non-Ministerial.	Rs. 260-6-326-EB-8-350	Non-selection	18-25 years	Essential (a) Read and write English and Hindi. (b) Should have worked for 2 years as Typewriter Mechanic. Desirable Certificate of proficiency as a Typewriter Mechanic.
14 Carpenter	4	Civilians in Defence Services Class III Non-gazetted Non-Industrial Non-Ministerial.	Rs. 210-4-226-EB-4-250-EB-5-290	Not applicable.	18-25 years.	Middle School Standard with certificate or 3 years' experience as a carpenter.
15 Accountant	3	Civilians in Defence Services Class III Non-gazetted Non-Industrial Non-Ministerial.	Rs. 330-10-380-EB-12-500-FB-15-560.	Selection	18-25 years	Degree of a recognised University with a knowledge of accountancy

8	9	10	11	12	13
Not applicable.	2 years	By transfer failing which by direct recruitment.	Transfer : Persons serving in similar, equivalent or higher grade in lower formations of Defence Services.	Not applicable.	Not applicable.
Age— Qualifications No Yes	2 years	By promotion failing which by transfer and failing both by direct recruitment.	Promotion : Artist/Poster Maker Modeler with 3 years' service in the grade. Transfer : Persons serving in similar equivalent or higher grade in the lower formations of Defence Services.	Class III Departmental Promotion Committee.	Not applicable.
Not applicable	2 years	By transfer failing which by direct recruitment.	Transfer : Persons serving in similar equivalent or higher grade in lower formations of Defence Services.	Not applicable	Not applicable.
Not applicable	2 years	By transfer failing which by direct recruitment.	Transfer : Persons serving in similar or equivalent or higher grade in the lower formations of Defence Services.	Not applicable	Not applicable
Age- Qualification No Yes	2 years	By promotion failing which by transfer and failing both by direct recruitment.	Promotion : Lower Division Clerks with 5 years' service in the grade. Transfer : Persons serving in similar, equivalent or higher grade in the lower formations of Defence Services.	Class III Departmental Promotion Committee	Not applicable.

Class IV Post

1	2	3	4	5	6	7
1 Vulcaniser	1	Civilians in Defence Services Class IV Non-gazetted Non-Industrial Non-Ministerial.	Rs. 196-3-220-EB-3-232.	Non-Selection	18-25 years	Primary pass.

8	9	10	11	12	13	
Not applicable	2 years	By transfer failing which by direct recruitment	Transfer : Persons serving in similar, equivalent or higher grade in lower formations of Defence Services.	Not applicable	Not applicable	
1	2	3	4	5	6	7
2 Equipment Repairer.	4	Civilians in Defence Services Class IV Non-gazetted Non-Industrial Non-Ministerial.	Rs. 200-3-206-4-234-FB-4-250.	Not applicable	18-25 years.	(a) Certificate in leather stitching. (b) 2 years' experience as a cobbler
3 Boot Repairer	14	Civilians in Defence Services Class IV Non-gazetted Non-Industrial Non-Ministerial	Rs. 200-3-206-4-234-FB-4-250	Not applicable	18-25 years	(a) Certificate in leather stitching (b) Two years' experience as a Cobbler.
4 Cook	56	Civilians in Defence Services Class IV Non-gazetted Non-Industrial Non-Ministerial.	Rs. 200-3-206-4-234-EB-4-250.	Non-selection	18-25 years.	Knowledge of cooking Indian dishes.
8	9	10	11	12	13	
Not applicable	2 years	By transfer failing which by direct recruitment	Transfer : Persons serving in similar, equivalent or higher grade in lower formations of Defence Services.	Not applicable	Not applicable	
Not applicable	2 years	By transfer failing which by direct recruitment.	Transfer : Persons serving in similar, equivalent or higher grade in lower formations of Defence services.	Not applicable	Not applicable	
Not applicable	2 years	By transfer failing which by direct recruitment	Transfer : Persons serving in similar equivalent or higher grade in the lower formations of Defence Services.	Not applicable	Not applicable	

का०सि०आ० 203 —राष्ट्रपति, सविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करने हुए, सैनिक इंजीनियरी महाविद्यालय, दापोशी, पुणे-1 में कलाकार एंव फोटोग्राफर के पद पर भर्ती की पद्धति को वित्तियमित करने वाले निम्नलिखित नियम बनते हैं, अर्थात् —

1. सक्षिप्त नाम और प्रारम्भ. — (1) इन नियमों का नाम सैनिक इंजीनियरी महाविद्यालय, दापोशी पुणे (कलाकार एंव फोटोग्राफर) भर्ती नियम, 1975 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. पद-संख्या, वर्गीकरण और वेतनमान. — उक्त पदों का संख्या, उनका वर्गीकरण और उनके वेतनमान वे होंगे जो उक्त अनुसूची के स्तम्भ 2 से 4 तक में विनिर्दिष्ट हैं।

3. भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और अन्य बातें. — उक्त पदों पर भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उनसे सम्बन्धित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची में स्तम्भ 5 से 13 तक में विनिर्दिष्ट हैं।

4. निरर्हताएं. — वह व्यक्ति—

(क) जिम्मे ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है, या

(ख) जिम्मे अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित होने हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है,

उक्त पदों में से किसी पर सेवा नियुक्ति का पात्र नहीं होगा।

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का समाधान हो जाये कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लायु म्बीय विधि के अधीन अनु-ज्ञेय है और ऐसा करने के लिये अन्य आधार मौजूद हैं तो वह किसी व्यक्ति इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

5. शिथिल करने की शक्ति. — जहां केन्द्रीय सरकार की राय हो कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह, उसके लिये जो कारण हैं उन्हें लेखबद्ध करके इन नियमों के किसी उपबन्ध को, किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा, शिथिल कर सकेगी।

6. व्यावृत्ति. — इन नियमों की कोई भी बातमा से ऐश्रक्षणों और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर निकाले गये आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य विशेष प्रवर्गों के व्यक्तियों के लिये उपबन्ध करना अपेक्षित है।

SCHEDULE

Name of the post	No. of posts	Classification	Scale of pay	Whether selection post or non-selection post	Age limit for direct recruits	Educational and other qualifications required for direct recruits
1	2	3	4	5	6	7
Artist-Cum Photographer	1	Civilians in Defence Services Class III Non-Gazetted Non-Ministerial, Non-Industrial.	Rs. 335-15-425. (Pre-revised)	Selection post.	18-25 years.	(a) Matriculation or equivalent. (b) Diploma in Photography from a recognised institute. or Diploma in Fine Arts with Photography from a recognised Institute. (c) Must have minimum 3 years experience in photography.
Whether age and qualifications prescribed for direct recruitment will apply in case of promotees.	Period of probation if any	Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or transfer and percentage of vacancies to be filled by various methods.	In case of recruitment by promotion transfer, grades from which promotion to be made.	If a departmental Promotion Committee exists its composition.	Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment.	
8	9	10	11	12	13	
(a) Age- Qualification. Matriculation or equivalent.	No Matriculation or equivalent.	Two years	By promotion, failing which by transfer, and failing both, by direct recruitment.	Promotion : Photographers with 8 years' service in the grade. Transfer : Persons working in similar, equivalent or higher grades in the lower formations of Defence Services.	Class III Departmental Promotion Committee.	Not Applicable

A. S. BEDI, Under Secy

नई दिल्ली, 27 मई, 1975

New Delhi, the 27th May, 1975

का० नि० प्रा० 204—केन्द्रीय सरकार पूर्त विन्यास अधिनियम, 1890 (1890 का 6) की धारा 4 और 5 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा भारतीय सैनिक, नौसैनिक और वायुसैनिक बोर्डों के, तथा भूतपूर्व सैनिकों के पुनर्गठन और पुनर्वास के लिए विशेष निधि के सचिव द्वारा किये गए आवेदन पर, और उक्त सचिव की सहमति से भूतपूर्व सैनिकों के पुनर्गठन और पुनर्वास के लिए विशेष निधि के प्रशासन के लिए बनाई गई और भारत सरकार के रक्षा मन्त्रालय की अधिसूचना सं० का० नि० आ० 234, तारीख 27 सितम्बर, 1966 में प्रकाशित स्कीम में और उपान्तरण करने के लिए निम्नलिखित संशोधन, राजपत्र में उक्त अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से करती है, अर्थात्:—

उक्त अधिसूचना की अनुसूची (ख) में उपबर्णित स्कीम में, पैरा 2 के खण्ड (iii) के स्थान पर, निम्नलिखित खण्ड रखा जायेगा, अर्थात् —

भूतपूर्व सैनिकों के छात्रियों और सेवा के मृत अधिकारियों के बालकों को, 25 वर्ष की अधिकतम आयु तक, तकनीकी, व्यावसायिक या कृषि शिक्षा में सरकार से मान्यता प्राप्त संस्थानों में, हाई स्कूल या उच्चतर माध्यमिक स्तर के आगे भारत में उच्चतर अध्ययन के लिए, छात्रवृत्तियों या अनुदान संजूर करना, प्राप्तकर्ताओं द्वारा ऐसे अध्ययनों के पाठ्यक्रमों में समाधानप्रद रूप में कार्य करने पर ही ऐसी छात्रवृत्तियां संजूर की जाएंगी।

[का० सं० 7(2)/75/डी० (आर ई एस)]
के० वी० रामणमूर्ति, उप-सचिव

S.O. 204.—In exercise of the powers conferred by sections 4 and 5 of the Charitable Endowments Act, 1890 (6 of 1890), and on the application made by the Secretary of the Indian Soldiers' Sailors' and Airmen's Board and of the Special Fund for Reconstruction and Rehabilitation of Ex-servicemen, and with the concurrence of the said Secretary, the Central Government hereby makes with effect from the date of publication of this notification in the official gazette, the following amendments further to modify the Scheme settled for the administration of the Special Fund for Reconstruction and Rehabilitation of Ex-servicemen and published with the notification of the Government of India in the Ministry of Defence S.R.O. No. 234, dated the 27th September, 1966, namely:—

In the Scheme set forth in Schedule 'B' of the said notification for clause (iii) of paragraph 2, the following clause shall be substituted, namely:

"(iii) to sanction scholarships or grants to dependents of ex-servicemen and children of deceased service officers, upto the maximum age of 25 years, for higher studies in India, beyond high school or higher secondary stage in technical, vocational or agricultural education, at Government recognised institutes, the sanction of such scholarships being subject to satisfactory performance in such courses of studies by the recipients."

[F. No. 7(2)/75/D(R.E.S.)]

K. V. RAMANAMURTHI, Dy. Secy.

नई दिल्ली, 31 मई, 1975

का० वि० आ० 205 :- राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक्त द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, नौसेना (वर्ग 1 राजपत्रित पद) भर्ती नियम, 1969 में, और संशोधन करने के लिये निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्:-

1. (1) इन नियमों का नाम नौसेना (वर्ग 1 राजपत्रित पद) भर्ती (चतुर्थ संशोधन) नियम, 1975 है।
- (2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. नौसेना (वर्ग 1 राजपत्रित पद) भर्ती नियम, 1969 की अनुसूची में:-

(i) "उपनिदेशक, सिविलियन कामिक" के पद से संबंधित क्रम संख्यांक 1 के सामन,-

- (क) स्तंभ 1 में "उपनिदेशक, सिविलियन कामिक" शब्दों के स्थान पर "उपनिदेशक सिविलियन कामिक, नौसेना मुख्यालय" शब्द रखे जायेंगे ;
- (ख) स्तंभ 4 में की प्रविष्टि के स्थान पर "1100-50-1400 रु०" प्रविष्टि रखी जाएगी ;
- (ग) स्तंभ 11 की प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टियां रखी जायेंगी, अर्थात् :-

"प्रोन्नति :

- (i) कामिक प्रबंधक;
- (ii) प्रशासनिक अधिकारी, नौसेना डाकघांड़, मुम्बई ;
- (iii) स्टाफ आफिसर (प्रशिक्षण);

जिन्होंने अपनी-अपनी श्रेणी में नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात् तीन वर्ष सेवा की हो।"

कामिक प्रबंधक, प्रशासनिक अधिकारी और स्टाफ आफिसर (प्रशिक्षण) 3. नौसेना मुख्यालय के पदों से संबंधित क्रम संख्यांक 2 (क) और (ख) और 3 के स्थान पर निम्नलिखित रखा जायेगा अर्थात् :-

अनुसूची

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतनमान	अन्य पद अथवा अचयन पद	सीधे भर्ती किये जाने वाले व्यक्तियों के लिये	सीधे भर्ती किये जाने वाले व्यक्तियों के लिये शैक्षिक और अन्य महत्ताएं
1	2	3	4	5	6	7
"2 (क) कामिक प्रबंधक-2 (ख) प्रशासनिक अधिकारी -1 नौ-सैनिक डाकघांड़ मुंबई (ग) स्टाफ आफिसर (प्रशिक्षण)-1	4	रक्षा सेवा में सिविलियन वर्ग 1 राजपत्रित	1100-50-1600-रु० (पुनरीक्षित)	अचयन	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिये विहित आयु और शैक्षिक महत्ताएं प्रोन्नतों की दशा में लागू होंगी या नहीं

परिवीक्षा की अवधि यदि कोई हो

भर्ती की पद्धति/भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/स्थानान्तरण द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों का प्रतिफल

प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/स्थानान्तरण द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/स्थानान्तरण किया जायेगा

यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है तो उसकी संरचना

भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा

8	9	10	11	12	13
लागू नहीं होता	2 वर्ष	प्रोन्नति द्वारा	प्रोन्नति : (i) ऐसे स्टाफ आफिसर (सिविलियन) और भारतीय नौसैनिक संवितरण प्राधिकारियों में से जिन्होंने अपनी-अपनी श्रेणी में नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात् 3 वर्ष सेवा की हो।	वर्ग 1 विभागीय प्रोन्नति समिति	संघ लोक सेवा आयोग (परामर्श से छूट) विनियम 1958 द्वारा यथा अपेक्षित "

8

9

10

11

12

13

(ii) उपर्युक्त (i) के न हो सकने पर ऐसे स्टाफ आफिसर (सिविलियन) या भारतीय नौसैनिक संवितरण प्राधिकारी और सिविलियन राजपत्रित अधिकारियों में से जिन्होंने सब को मिलाकर उन श्रेणियों में नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात् 6 वर्ष सेवा की हो।

(iii) उपर्युक्त (i) और (ii) के न हो सकने पर ऐसे सिविलियन राजपत्रित अधिकारियों में से जिन्होंने उस श्रेणी में नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात् 6 वर्ष सेवा की हो।

[फा० सं सी पी (डी पी सी)/2410]

New Delhi, the 31st May, 1975

S.R.O. 205.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules further to amend the Navy (Class I Gazetted Posts) Recruitment Rules, 1969, namely:—

1. (1) These rules may be called the Navy (Class I Gazetted Posts) Recruitment (Fourth Amendment) Rules, 1975.
- (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
2. In the Schedule to the Navy (Class I Gazetted Posts) Recruitment Rules, 1969,—
 - (i) against Serial Number 1 relating to the post of Deputy Director of Civilian Personnel,—
 - (a) for the words "Deputy Director of Civilian Personnel" in column 1, the words "Deputy Director of Civilian Personnel, Naval Headquarters" shall be substituted;
 - (b) for the entry in column 4, the entry "Rs. 1100-50-1400" shall be substituted;

(c) for the entries in column 11, the following entries shall be substituted, namely:—

"Promotion

- (i) Personnel Manager;
- (ii) Administrative Officer, Naval Dockyard, Bombay;
- (iii) Staff Officer (Training);

with three years' service in the respective grades rendered after appointment thereto on a regular basis."

(ii) for Serial Numbers 2(a) and (b) and 3, relating to the posts of Personnel Manager, Administrative Officer and Staff Officer (Training) 3, Naval HQ, respectively, the following shall be substituted, namely:—

SCHEDULE

Name of post	No. of posts	Classification	Scale of Pay	Whether Selection post or non-selection post	Age limit for direct recruits	Educational & other qualifications required for direct recruits
1	2	3	4	5	6	7
*2 (a) Personnel Manager	2	Civilian in Defence Service Class I Gazetted	Rs. 1100-50-1600 (Revised)	Selection	Not applicable	Not applicable
(b) Administrative Officer, Naval Dockyard, Bombay	1					
(c) Staff Officer (Training)	1					

Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of Promotees	Period of probation, if any	Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation transfer & percentage of the vacancies to be filled by various methods	In case of recruitment by promotion/deputation/transfer, grades from which promotion/deputation/transfer to be made	If a DPC exists, what is its composition	Circumstances in which U.P.S.C. is to be consulted in making recruitment
8	9	10	11	12	13
Not applicable	2 years	By promotion	Promotion : (i) Staff Officer (Civilian) and Indian Naval Distributing Authority with 3 years' service in the respective grade rendered after appointment thereto on a regular basis. (ii) Failing (i) above, 6 years' service in the grades of Staff Officer (Civilian) or Indian Naval Distributing Authority and Civilian Gazetted Officer combined together rendered after appointment thereto on a regular basis. (iii) Failing (i) and (ii) above, Civilian Gazetted Officers with 6 years' service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis.	Class I Departmental Promotion Committee	As required under the Union Public Service Commission (Exemption from Consultation) Regulations, 1958."

[File No. CP(DPC)2410/]

क्र० नि० आ० 206—राष्ट्रपति संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए नौसेना (वर्ग II राजपत्रित पद) भर्ती नियम 1969 में और संशोधन करने के लिये निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :—

1 (1) इन नियमों का नाम नौसेना (वर्ग II राजपत्रित पद) भर्ती (संशोधन) नियम 1975 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2 नौसेना (वर्ग II राजपत्रित पद) भर्ती नियम 1969 की अनुसूची में,—

(1) नौसेना कार्यालय मुम्बई में स्टाफ अधिकारी और "भारतीय नौसेना संवितरण प्राधिकारी" पदों और उनसे संबंधित प्रविष्टियों से संबद्ध क्रमशः क्रम संख्यांक 11 और 12 और उससे संबंधित प्रविष्टियों का लोप किया जाएगा;

(2) क्रम संख्यांक 31 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात् निम्नलिखित अन्तःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

अनुसूची

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतनमान	चयन पद अथवा अचयन पद	सीधे भर्ती किये जाने वाले व्यक्तियों के लिये प्रायु-सीमा	सीधे भर्ती किये जाने वाले व्यक्तियों के लिये शैक्षिक और अन्य अर्हताएं
1	2	3	4	5	6	7
"32 (क) स्टाफ आफि-सर (सिविलियन) (ख) भारतीय नौ-सैनिक संवितरण प्राधिकारी (नौ-सेना मुख्यालय)	1	रक्षा सेवाओं में सिविलि- 2 यन वर्ग II राजपत्रित अनुसूचितीय	840-40-1000-द० रो०-40-1200	अचयन	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता

सीधे भर्ती किए जाने परीक्षा की प्रवधि, भर्ती की पद्धति/भर्ती सीधे होगी प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/स्थानान्तरण द्वारा यदि विभागीय प्रोन्नति भर्ती करने में किन् परि-
वाले व्यक्तियों के लिये यदि कोई हो या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/ भर्ती की वशा मे वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति/ समिति है तो उसकी स्थितियों में संघ लोक
विहित प्रायु और स्थाानान्तरण द्वारा तथा विभिन्न प्रतिनियुक्ति/स्थानान्तरण किया जाएगा संरचना सेवा आयोग से परामर्श
प्राधिक श्रद्धताएं प्रोन्नती की वशा में लागू होगी या नहीं रक्तियों का प्रतिशत। क्रिया जायेगा

8	9	10	11	12	13
लागू नहीं होता	2 वर्ष	प्रोन्नति द्वारा	प्रोन्नति: ऐसे सिविलियन राजपत्रित अधि- कारियों में से जिन्होंने उस श्रेणी में नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात् 3 वर्ष सेवा की हो।	वर्ग II विभागीय प्रोन्नति समिति	संघ लोक सेवा आयोग (परामर्श से छूट) विनि- यम 1958 द्वारा यथा अपेक्षित।”

[फा० स० सी०पी०(डी०पी०सी०)/2410]

ए० एस० बेदी, प्रवर सचिव।

S.R.O. 206.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President here-
by makes the following rules further to amend the Navy
(Class II Gazetted Posts) Recruitment Rules, 1969, namely:—

1. (1) These rules may be called the Navy (Class II Gazet-
ted Posts) Recruitment (Amendment) Rules, 1975.

(2) They shall come into force on the date of their publi-
cation in the Official Gazette.

2. In the Schedule to the Navy (Class II Gazetted Posts)
Recruitment Rules, 1969,—

(1) Serial Numbers 11 and 12 relating to the posts of
"Staff Officer Civilians in the Navy Office, Bombay"
and "Indian Naval Distributing Authority" respec-
tively and the entries relating thereto shall be omit-
ted;

(2) After Serial Number 31 and the entries relating
thereto, the following shall be inserted, namely:—

SCHEDULE

Name of post	No. of posts	Classification	Scale of pay	Whether Selection post or non-selection post	Age limit for direct recruits	Educational and other quali- fications required for direct recruits
1	2	3	4	5	6	7
"32(a) Staff Officer (Civilian) (b) Indian Naval Distributing Authority (Naval HQ)	1 } 1 }	2 Class II Gazet- ted Non- Ministerial	Rs. 840-40-1000-- EB-40-1200.	Non- selection	Not applicable.	Not applicable.

Whether age and educational quali-
fications prescribed for direct re-
cruits will apply in case of promo-
tees.

Period of probation, if any

Method of recc. whether by direct recc. or by promo-
tion or by deputation/
transfer and percentage
of vacancies to be filled
by various methods

In case of recc. by promo-
tion/deputation/transfer,
grades from which promotion/
deputation/transfer to be made

If a DPC exists, what is its com-
position

Circumstances in which
U.P.S.C. is to be consulted
in making recc.

8	9	10	11	12	13
Not applicable	2 years	By promotion	Promotion : Civilian Gazetted Officers with 3 years' service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis.	Class II Depart- mental Promo- tion Commit- tee	As required under the Union Public Service Commission (Excm- ption from) Consulta- tion) Regulations, 1958."

[F. No. CP(DPC)/2410]
A. S. BEDI, Under Secy.